संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 05/03/2015

क्र./प्रशि./2015/109

आदेश

संचालनालय के आदेश क्र./प्रशि./2015/46–47 दिनांक 24.01.15 के द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को **दिनांक 09.03.15 से 20.03.2015 की अवधि में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी भोपाल** में आयोजित **"आधारभूत प्रशिक्षण" (Induction Training)** में भाग लेने हेतु नामांकित किया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में निम्नानुसार विभागीय चिकित्सा अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामांकित किया जाता है–

1. डॉ. मनीष सिंह, चि.अ. एवं राज्य शिशु स्वास्थ्य सलाहकार – एनएचएम कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
2. डॉ. कार्तिक नामदेव, चिकित्सा अधिकारी – जिला चिकित्सालय राजगढ़, म.प्र.।

उपरोक्तानुसार नामांकित चिकित्सा अधिकारी **दिनांक 09.03.2015 को प्रातः 9:00 बजे अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति डॉ. प्रज्ञा अवस्थी प्रशिक्षण संचालक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी भोपाल** को प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों के इस प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी –

- प्रशिक्षणार्थी के भोजन/ठहरने की व्यवस्था आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी भोपाल द्वारा की जावेगी।
- प्रशिक्षणार्थी को यात्रा/दैनिक भत्ता शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से भुगतान किया जावेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही संबंधित चिकित्सक को वापस ड्यूटी पर उपस्थित कराया जावेगा।

(डॉ. बी.एस. ओहरी)
संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./2015/

भोपाल,दिनांक /03/2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित/प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.आर.एच.एम. बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. अपर संचालक, (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी भोपाल, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, राजगढ़ म.प्र. की ओर भेज कर लेख है कि आप कृपया आदेश में दर्शाये आपके अधीन कार्यरत नामांकित प्रशिक्षणार्थी को तत्काल नियत दिनांक एवं समय पर कार्य मुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सा अधिकारी (उपरोक्तानुसार) की ओर पालनार्थ।

संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश